



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224459
CG-DL-E-15012021-224459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 171]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का. आ. 191(अ).—केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4238(अ) तारीख 19 नवम्बर, 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26 नवम्बर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में झारखण्ड राज्य के बोकारो एवं रामगढ़ जिले में कोल बेड मिथेन गैस के परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 14 दिसम्बर 2020, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

राज्य- झारखण्ड

जिला	अंचल/तहसील	मौजा का नाम एवं थाना सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
बोकारो	गोमिया	गोमिया - 110	1819	00	05	60
		ओचो - 109	165	00	00	30
			473	00	04	50
			474	00	02	00
		सियारी - 99	176	00	03	00
			177	00	05	50
			180	00	02	80
			181	00	00	30
			931	00	07	70
		पलिहारीगुरुडीह - 108	502	00	01	30
			515	00	05	00
			520	00	01	10
	हजारी - 112		2878	00	02	70
			2880	00	01	00
			2882	00	04	30
	महलीवांध - 113		462	00	01	20
			464	00	03	50
			465	00	04	20
			466	00	11	90
	भुरकुराडवाटांड - 114		45	00	12	90
			46	00	02	00
			109	00	00	60
	होसिर - 123		643	00	01	10
			645	00	03	90
			649	00	00	80
	खुदगड़ा - 111		1543	00	32	10

जिला	अंचल/तहसील	मौजा का नाम एवं थाना सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
		खुदगड़ा - 111 (जारी..)	1544	00	06	80
			1545	00	11	80
			1641	00	34	50
			1701	00	28	40
			1702	00	02	50
			1703	00	32	40
			1704	00	00	80
			1705	00	11	40
			1706	00	07	30
			1708	00	78	00
			1956	00	31	00
			2023	00	11	50
बोकारो	बेरमो	बोडेया - 115	919	00	01	60
रामगढ़	मान्डू	बोंगाहारा - 120	687	00	01	30
			685	00	01	50
			686	00	00	40
		केरीबन्दा - 124	283	00	08	10

[फा. सं. Expl.-11032(11)/6/2021-EXPL-I-PNG(E-36639)]

अवधेश कुमार मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 191(E).—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4238(E) dated the 19th November, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 26st November, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Coal Bed Methane (CBM) Gas by Oil and Natural Gas Corporation Limited ;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 14th December, 2020;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE
State- Jharkhand

District	Anchal /Tehsil	Name of the Mouza and Thana No.	Khasra No.	Area		
				Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6	7
Bokaro	Gumia	Gumia - 110	1819	00	05	60
		Ocho - 109	165	00	00	30
			473	00	04	50
			474	00	02	00
		Siari - 99	176	00	03	00
			177	00	05	50
			180	00	02	80
			181	00	00	30
			931	00	07	70
		Palihari Gurudih -108	502	00	01	30
			515	00	05	00
			520	00	01	10
		Hazari - 112	2878	00	02	70
			2880	00	01	00
			2882	00	04	30
		Mahlibandh - 113	462	00	01	20
			464	00	03	50
			465	00	04	20
			466	00	11	90
		Bhurkundwatanr - 114	45	00	12	90
			46	00	02	00
			109	00	00	60
		Hosir - 123	643	00	01	10
			645	00	03	90
			649	00	00	80
		Khudgara - 111	1543	00	32	10
			1544	00	06	80

District	Anchal /Tehsil	Name of the Mouza and Thana No.	Khasra No.	Area		
				Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6	7
		Khudgara - 111 (Contd....)	1545	00	11	80
			1641	00	34	50
			1701	00	28	40
			1702	00	02	50
			1703	00	32	40
			1704	00	00	80
			1705	00	11	40
			1706	00	07	30
			1708	00	78	00
			1956	00	31	00
			2023	00	11	50
Bokaro	Bermo	Borea - 115	919	00	01	60
Ramgarh	Mandu	Bongahara - 120	687	00	01	30
			685	00	01	50
			686	00	00	40
		Keribanda - 124	283	00	08	10

[फा. सं. Expl.-11032(11)/6/2021-EXPL-I-PNG(E-36639)]

AWDHESH KUMAR MEHTA, Under Secy.